मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

(वेतन आयोग प्रकोष्ठ)

मंत्रालय

क्र. एफ 1-1/1/वेआप्र/99

भोपाल, दिनांक 17 मार्च, 1999
19-4-1999

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मं., म. प्र., ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय सेवकों के लिये क्रमोन्नति योजना.

राज्य शासन ने यह नीतिगत निर्णय लिया है कि राज्य शासन के प्रत्येक नियमित एवं शासकीय कर्मचारी/अधिकारी को उसके पूरे सेवाकाल, में प्रदेश के समय लागू वेतनमान के अतिरिक्त कम से कम दो उच्चतर वेतनमानों का लाभ दिया जाय.

2. राज्य शासन की सेवा में नियुक्त ऐसे समस्त कर्मचारी जो संबंधित सेवा भरती नियमों के अंतर्गत नियमित रूप से नियुक्त किये गये हों तथा उसके पश्चात् एक ही वेतनमान (तत्स्थानी वेतनमान सहित) में 12 वर्ष अथवा उससे अधिक की अवधि से, निरन्तर कार्यरत हों, तो उन्हें निम्नांकित शर्तों के अधीन, संलग्न सूची में दर्शाये गये अनुसार उच्च वेतनमान में क्रमोन्नत किया जा सकता है

(क) यदि उक्त शासकीय कर्मी की नियमित सेवा में नियुक्ति पश्चात् की सेवा अवधि 12 वर्ष से अधिक परन्तु 24 वर्ष से कम है, तथा उसे सेवा में भरती के समय लागू प्रारंभिक वेतनमान अथवा उसके तत्स्थानी वेतनमान के अतिरिक्त कोई अन्य वेतनमान पदोन्नति/क्रमोन्नति/चयन/अपग्रेड करके अथवा अन्य किसी माध्यम से प्राप्त नहीं हुआ है.

(ख) यदि उक्त शासकीय कर्मी की नियमित सेवा में नियुक्ति के पश्चात् की सेवा अवधि 24 वर्ष से अधिक है, तथा उसे सेवा में प्रवेश के समय लागू वेतनमान के अतिरिक्त एक से अधिक उच्चतर वेतनमान पदोन्नति/क्रमोन्नति/चयन/अपग्रेडेशन अथवा अन्य किसी माध्यम से न मिला हो.

(ग) इस योजना के अंतर्गत क्रमोन्नति का लाभ प्रदान करने के लिए उक्त कर्मचारी/अधिकारी के विगत 5 वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदनों का परीक्षण उसी प्रकार किया जायेगा जिस प्रकार पदोन्नति के प्रकरणों में किया जाता है, तथा उपयुक्त पाये जाने पर ही क्रमोन्नति का लाभ दिया जायेगा.

(घ) क्रमोन्नत होने पर वेतन का निर्धारण क्रमोन्नति वेतनमान में अगली स्टेज पर निर्धारित किया जावेगा.
"परंतु यदि भविष्य में इसी वेतनमान में पदोन्नति की जाती है तो उसके उपरांत वेतन निर्धारण ऐसा मानते हुए किया जावेगा जैसे कि संबंधित कर्मचारी पूर्व के वेतनमान में ही चला आ रहा हो तथा उसे क्रमोन्नति के फलस्वरूप वेतन निर्धारण का लाभ नहीं मिला हो."

(च) इस क्रमोन्नति के फलस्वरूप संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के पदनाम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा.

3. यह आदेश, इस संबंध में संबंधित विभागों के भरती नियमों में तत्संबंधी संशोधन होने के दिनांक से लागू होंगे.

Scanned by CamScanner

4. उपरोक्त कंडिका-2 में दर्शाये अनुसार क्रमोन्नत पश्चात् प्राप्त होने वाला वेतनमान, संलग्न सूची के कॉलम नंबर 2 में दर्शाए गए वर्तमान वेतनमान से संबंधित कॉलम नं. 3 का वेतनमान अथवा उसका तत्स्थानी वेतनमान, जो भी लागू हो, होगा.

5. यह आदेश वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 734/एस/110/99/मह./सी/चार, दिनांक 19-4-1999 द्वारा महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर को पृष्ठांकित किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-

(एम. के. वर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्र. एफ 1-1/1/वेआप्र/99

भोपाल, दिनांक 17 मार्च, 1999

19-4-1999

प्रतिलिपि :—

1. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म. प्र., जबलपुर
   सचिव, लोकायुक्त, म. प्र. भोपाल.
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर.
   महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म. प्र. भोपाल.
   सचिव, वित्त की ओर महालेखाकार म. प्र. ग्वालियर की ओर पृष्ठांकन हेतु.
2. सचिव, विधान सभा सचिवालय, म. प्र. भोपाल.
   राज्यपाल के सचिव, म. प्र. राजभवन, भोपाल.
3. माननीय मुख्य मंत्रीजी/मंत्रीगण एवं राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश.
4. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म. प्र. भोपाल.
5. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म. प्र. भोपाल.
6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म. प्र. भोपाल.
7. रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर.
8. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, म. प्र. जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर.
9. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
10. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, पुस्तकालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल.
11. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ.
12. सामान्य प्रशासन विभाग, कर्मचारी कल्याण शाखा-15 की ओर 18 अतिरिक्त प्रतियों सहित कर्मचारी संघों को भेजने हेतु अग्रेषित.
13. अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, मंत्रालय, भोपाल.

हस्ता./

उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग.

Scanned by CamScanner

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

क्र. 1477/2796/1/3/05

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2005

प्रति

प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग/
आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग/
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/
आयुक्त, लोक शिक्षण, आदिवासी विकास एवं
विकास आयुक्त, म. प्र. पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश.

विषय.—शिक्षक संवर्ग को क्रमोन्नति योजना लाभ.

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि शिक्षक संवर्ग को वरिष्ठ वेतनमान के पश्चात् यदि अगले 12 वर्ष तक पदोन्नति प्राप्त नहीं होता है तो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू की गई क्रमोन्नति योजना की अन्य शर्तें पूरी होती हैं तो इस संवर्ग को क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दिया जाए.

2. शिक्षक संवर्ग का वरिष्ठ वेतनमान व क्रमोन्नति वेतनमान निम्नानुसार रहेगा :-

क्र (1)	पदनाम (2)	प्रारंभिक वेतनमान रुपये (3)	वरिष्ठ वेतनमान रु (12 वर्ष उपरांत) (4)	क्रमोन्नति वेतनमान रु (24 वर्ष उपरांत) (5)
1.	सहायक शिक्षक	4000-6000	5000-8000	5500-9000
2.	शिक्षक	5000-8000	5500-9000*	6500-10500
3.	व्याख्याता	5500-9000	6500-10500*	7500-12000

*टीप—क्रमोन्नति वेतनमान

3. क्रमोन्नति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1-1/1/वेआप्र/99, दिनांक 19-4-99 में निहित अन्य सभी शर्तें यथावत लागू होंगी. ये आदेश दिनांक 1-8-2003 से प्रभावशील माने जायेंगे.

4. उपर्युक्त पद दो के कॉलम 5 में उल्लेखित क्रमोन्नति वेतनमान स्वीकृति उपरांत वेतन निर्धारण के कारण नियमित पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के समय कोई विसंगति दिखाई देती है तो उसका निराकरण इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 1-1/1/वेआप्र/99 दिनांक 18-8-2005 में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा.

5. यह आदेश वित्त विभाग को यू ओ टीप क्रमांक 965/1647/ नियम/चार, दिनांक 3-9-2005 द्वारा दी गई सहमति अनुसार जारी किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता/
(सुभाष डाफणे)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

Scanned by CamScanner

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक सी 3–05/2017/3/एक भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल, 2017

प्रति,

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
भोपाल

विषय :– शिक्षक संवर्ग को क्रमोन्नति योजना लाभ।

संदर्भ :– इस विभाग का परिपत्र क्रमांक 1477/2796/3/1/05, दिनांक 03/09/2005

— 0 — 0 —

उक्त संदर्भित आदेश द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति एवं अनुसुचित जाति कल्याण विभाग एवं पंचायत एवं ग्रामीण विभाग विभाग के शिक्षक संवर्ग को वरिष्ठ वेतनमान के पश्चात यदि अगले 12 वर्ष तक पदोन्नति प्राप्त नहीं होती है तो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू की गई क्रमोन्नति योजना की अन्य शर्ते पूरी होती है तो शिक्षक संवर्ग का वरिष्ठ वेतनमान व क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ निम्नानुसार दिया गया है :–

स.क्र.	पदनाम	प्रारंभिक वेतनमान रूपये	वरिष्ठ वेतनमान रूपये (12 वर्ष उपरांत)	क्रमोन्नति वेतनमान रूपये (24 वर्ष उपरांत)
1.	सहायक शिक्षक	4000–6000	5000–8000	5500–9000
2.	शिक्षक	5000–8000 ✱	5500–9000	6500–10500
3.	व्याख्याता	5500–9000 ✱	6500–10500	7500–12000

✱ टीप– क्रमोन्नति वेतनमान

2/ उक्त आदेश में उच्च शिक्षा विभाग के संस्कृत महाविद्यालय में कार्यरत सहायक शिक्षक (संस्कृत)/शिक्षक सम्मिलित नहीं किये गये थे। अतः राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त तीनो विभागों के शिक्षक संवर्ग के समान उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक शिक्षक (संस्कृत)/शिक्षक को भी सम्मिलित किया जाए। वरिष्ठ वेतनमान व क्रमोन्नति वेतनमान निम्नानुसार रहेगा :–

स.क्र.	पदनाम	प्रारंभिक वेतनमान रूपये	वरिष्ठ वेतनमान रूपये (12 वर्ष उपरांत)	क्रमोन्नति वेतनमान रूपये (24 वर्ष उपरांत)
1.	सहायक शिक्षक (संस्कृत)	4000–6000	5000–8000	5500–9000
2.	शिक्षक	5000–8000 ✱	5500–9000	6500–10500

[signature]

.....2..

Scanned by CamScanner

3/ क्रमोन्नति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1–1/1/वेआप्र/99, दिनांक 19.04.99 में निहित अन्य सभी शर्तें यथावत लागू होगी। ये आदेश दिनांक 01/08/2003 से प्रभावशील माने जायेंगे।

4/ उपर्युक्त पद दो कॉलम 5 में उल्लेखित क्रमोन्नति वेतनमान स्वीकृति उपरांत वेतन निर्धारण के कारण नियमित पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के समय कोई विसंगति दिखाई देती है तो उसका निराकरण इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 1–1/वेआप्र/99, दिनांक 18.08.2005 में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावेगा।

5/ यह आदेश वित्त विभाग की यू.ओ.टीप क्रमांक 440/282/2017/वित्त/नियम/ चार, दिनांक 10.03.2017 द्वारा दी गई सहमति अनुसार जारी किए गए है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(सी0बी0पडवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक सी 3–05/2017/3/एक — भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल, 2017

प्रतिलिपि :–

1. राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल।
2. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर/भोपाल।
3. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर।
4. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव म0प्र0 शासन समस्त विभाग
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल
6. प्रमुख सचिव/सचिव मुख्य मंत्री कार्यालय, म.प्र.।
7. मान. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र.।
8. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र. भोपाल।
9. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
10. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल।
11. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
12. आयुक्त, उच्च शिक्षा म.प्र.
13. समस्त विभागाध्यक्ष म0प्र0 ।
14. समस्त संभागायुक्त म0प्र0 ।
15. समस्त कलेक्टर म0प्र0 ।
16. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश ।
17. मुख्य सचिव के उप सचिव, म0प्र0 शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
18. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर।

....3..

Scanned by CamScanner

19. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल।
20. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्य प्रदेश।
21. अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल।
22. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, म0प्र0।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(सी.बी. पड़वार)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

Scanned by CamScanner

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक सी 3--09 / 2017 / 3 / एक — भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2017

प्रति,

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

विषय :- स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत सहायक शिक्षकों एवं शिक्षकों को 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दिए जाने के संबंध में।

संदर्भ :- इस विभाग का परिपत्र क्रमांक --1477 / 2796 / 3 / 1 / 05, दिनांक 03 / 09 / 2005 एवं परिपत्र क्रमांक सी 3--05 / 2017 / 3 / एक, दिनांक 26 / 04 / 2017

— 0 — 0 —

संदर्भित आदेशो द्वारा शिक्षक संवर्ग को क्रमोन्नति योजनान्तर्गत 12 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के पर प्रथम एवं 24 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय क्रमोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया गया था। राज्य शासन एतद्द्वारा सहायक शिक्षको एवं शिक्षको को निरन्तर 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान करता है :-

पद व प्रारम्भिक वेमनमान	12 वर्ष (प्रथम वरिष्ठ वेतनमान)	24 वर्ष (द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान)	30 वर्ष (तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान)
सहायक शिक्षक (एल.डी.टी.) 4000—6000 (5200--20200+2400ग्रेड--पे)	5000—8000 (9300—34800+3200 ग्रेड—पे)	5500-9000 (9300-34800+3600 ग्रेड-पे)	9300—34800+4200 ग्रेड—पे
शिक्षक (यू.डी.टी.) 5000—8000 (9300-34800+3200 ग्रेड—पे)	5500—9000 (9300—34800+3600ग्रेड— पे)	6500--10500 (9300-34800+4200ग्रेड-पे)	15600--37100+6600ग्रेड—पे

2/ क्रमोन्नति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1--1 / 1 / वेआप्र / 99, दिनांक 19.04.99 में निहित अन्य सभी शर्ते यथावत लागू होंगी। तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान दिनांक 01 / 07 / 2014 से प्रभावशील माना जाएगा।

(signature)

....2

Scanned by CamScanner

3/ यह आदेश वित्त विभाग की यू.ओ.टीप क्रमांक 1252/1448/2017/वित्त/नियम/ चार, दिनांक 31.07.2017 द्वारा दी गई सहमति अनुसार जारी किए गए है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सी0वी0पड़वार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक सी 3-09/2017/3/एक भोपाल, दिनांक २५ अक्टूबर, 2017

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव,म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन भोपाल।
2. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर/भोपाल।
3. प्रमुख सचिव/सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र.।
4. प्रमुख सचिव,(समन्वय) म0प्र0शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल।
6. विशेष सहायक, मान0 मंत्री/राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा विभाग म0प्र0 भोपाल।
7. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल।
8. आयुक्त लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र म0प्र0 भोपाल
9. समस्त कलेक्टर, म0प्र0।
10. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण म0प्र0।
11. समस्त जिला कोषालय अधिकारी म0प्र0।
12. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म0प्र0।
13. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, म0प्र0।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

14. आर्डर बुक।

(सी.वी. पडवार)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

Scanned by CamScanner